



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 51] नई दिल्ली, दिसम्बर 12—दिसम्बर 18, 2010, शनिवार/अग्रहायण 21—अग्रहायण 27, 1932  
No. 51] NEW DELHI, DECEMBER 12—DECEMBER 18, 2010, SATURDAY/AGRAHAYANA 21—AGRAHAYANA 27, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India  
(Other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय  
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2010

का.आ. 3043.—केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री फ्रांसिस ई. सल्दाना, सुश्री यास्मीन एन. कटपीटिया और सुश्री रति बी. अमरोलिया, अधिवक्ताओं को, मुंबई उच्च न्यायालय में सभी दंडिक मामलों का, (जिनके अंतर्गत दंडिक अपीलें, दंडिक आवेदन, दंडिक निर्देश, दंडिक पुनरीक्षण, रिट याचिकाएं और अन्य कार्यवाहियां भी हैं) संचालन करने के प्रयोजन के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इस शर्त के अधीन रहते हुए अपर लोक अधिवक्ता नियुक्त करती है कि श्री फ्रांसिस ई. सल्दाना, सुश्री यास्मीन एन. कटपीटिया और सुश्री रति बी. अमरोलिया, अधिवक्ता अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान भारत संघ या केन्द्रीय सरकार को किसी विभाग या कार्यालय के विरुद्ध ऊपर निर्दिष्ट किसी आपराधिक मामले में मुंबई उच्च न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे।

[फा. सं. 23(2)/2010-न्यायिक]

अशोक कुमार, अपर विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 20th October, 2010

S.O. 3043.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Francis E. Saldanha, Ms. Yasmin N. Katpitia and Ms. Rati B. Amroliya, Advocates as Additional Public Prosecutors, for the purpose of conducting all criminal cases (including criminal appeals, criminal applications, criminal references, criminal revisions, writ petitions and other proceedings) before the Bombay High Court for a period of three years or untill further orders, whichever is earlier, subject to the condition that Shri Francis E. Saldanha, Ms. Yasmin N. Katpitia and Ms. Rati B. Amroliya, Advocates shall not appear against the Union of India or any Department or Office of the Central Government in any criminal case referred to above before the Bombay High Court during the period of their appointment as Additional Public Prosecutors.

[F.No.23(2)/2010-Judl.]

ASHOK KUMAR, Addl. Legal Adviser

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
(पूंजी बाजार प्रभाग)

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2010

का.आ. 3044.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों तथा निबंधन) नियमावली, 1992 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री वी.के. जयरथ, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एमएच : 82), स्वेच्छा से सेवानिवृत्त भूतपूर्व प्रधान सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र सरकार को 31-12-2010 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हों, उस उप-धारा के खंड (घ) के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 2/08/2010-आरई]

ए.के. सिन्हा, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Capital Market Division)

New Delhi, the 25th November, 2010

S.O. 3044.—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Securities and Exchange Board of India, 1992 (15 of 1992), read with Securities and Exchange Board of India (Terms and Conditions of service of Chairman and Members) Rules, 1992, the Central Government hereby appoints Shri V. K. Jairath, IAS (MH : 82) voluntarily retired former Principal Secretary (Industry), Govt of Maharashtra as a part-time Member, Securities and Exchange Board of India under clause (d) of that sub-section for a period of three years with effect from 31-12-2010 or until further orders, whichever is earlier.

[F.No. 2/08/2010-RE]

A. K. SINHA Dy. Secy.

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2010

का.आ. 3045.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ दिनांक 1-4-2006 से (कर निर्धारण वर्ष 2007-2008) के आगे आरोग्य सेवा मेडिकल अकादमी आफ इंडिया, पुणे को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आंशिक रूप से अनुसंधान कार्यकलापों में लगे 'अन्य संस्था' की श्रेणी में अनुमोदित किया गया है, अर्थात् :-

- (i) अनुमोदित संगठन को प्रदत्त राशि का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा;
- (ii) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों अथवा अपने नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;
- (iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में अलग खाता बही रखेगा जिसमें अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाई गई हो, उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से ऐसी खाता-बही की लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;
- (iv) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।

2. केंद्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन :-

- (क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में उल्लिखित लेखा बही नहीं रखेगा; अथवा
- (ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा; अथवा
- (ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान एवं प्रयुक्त धनराशि का विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा; अथवा
- (घ) अपना अनुसंधान कार्य करना बंद कर देगा अथवा इसके अनुसंधान कार्य को जायज नहीं पाया जाएगा; अथवा
- (ङ) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा तथा उनका पालन नहीं करेगा।

[अधिसूचना सं. 89/2010/फा.सं. 203/77/2008-(आ.क.नि.-II)]

अजय गोयल, निदेशक (आ.क.नि.-II)

(Department of Revenue)

(Central Board of Direct Taxes)

New Delhi, the 7th December, 2010

S.O. 3045.—It is hereby notified for general information that the organization Arogyaseva Medical Academy of India, Pune has been approved by the Central

Government for the purpose of clause (ii) of subsection (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 (said Act), read with Rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962 (said Rules), with effect from 1-4-2006 (Assessment Year 2007-08) onwards in the category of 'other Institution', partly engaged in research activities subject to the following conditions, namely :-

- (i) The sums paid to the approved organization shall be utilized for scientific research;
- (ii) The approved organization shall carry out scientific research through its faculty members or its enrolled students;
- (iii) The approved organization shall maintain separate books of accounts in respect of the sums received by it for scientific research, reflect therein the amounts used for carrying out research, get such books audited by an accountant as defined in the explanation to sub-section (2) of Section 288 of the said Act and furnish the report of such audit duly signed and verified by such accountant to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax having jurisdiction over the case, by the due date of furnishing the return of income under sub-section (1) of Section 139 of the said Act;
- (iv) The approved organization shall maintain a separate statement of donations received and amounts applied for scientific research and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of audit referred to above.

2. The Central Government shall withdraw the approval if the approved organization:-

- (a) fails to maintain separate books of accounts referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or
- (b) fails to furnish its audit report referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or
- (c) fails to furnish its statement of the donations received and sums applied for scientific research referred to in sub-paragraph (iv) of paragraph 1; or
- (d) ceases to carry on its research activities or its research activities are not found to be genuine; or
- (e) ceases to conform to and comply with the provisions of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the said Act read with rules 5C and 5E of the said Rules.

[Notification No. 89/2010/F. No. 203/77/2008(ITA-II)]

AJAY GOYAL, Director (ITA-II)

( वित्तीय सेवाएं विभाग )

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2010

का.आ. 3046.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970/1980 के खण्ड 9 के उप खण्ड (1) एवं (2) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा, श्री जी.वी. मनिमरान (जन्म तिथि : 05-05-1961), प्रबंधक, केनरा बैंक को अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा केनरा बैंक के अधिकारी कर्मचारी के रूप में उनकी सेवा समाप्त तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी सबसे पहले हो, केनरा बैंक के निदेशक मंडल में अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नामित करती है।

[फा. सं. 9/58/2009-बीओ-1]

सुमिता डावरा, निदेशक

( Department of Financial Services )

New Delhi, the 14th December, 2010

S.O. 3046.—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) & (2) of clause 9 of The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby nominates Shri G. V. Manimaran (DoB : 05-05-1961), Manager Canara Bank, as Officer Employee Director on the Board of Directors of Canara Bank for a period of three years from the date of notification or until he ceases to be an officer of the Canara Bank or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. 9/58/2009-BO. I]

SUMITA DAWRA, Director

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2010

का. आ. 3047.—सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त नृशालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की 19-02-2010 की अधिसूचना संख्या 65 (2)/2007-बीओ-II का अधिकरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित सारणी के कालम (2) में उल्लिखित उन अधिकारियों को नियुक्त करती है जो सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के स्तर के समकक्ष अधिकारी हों और उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी (एस्टेट ऑफिसर) होंगे। ये अधिकारी उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उक्त अधिनियम के अधीन उक्त सारणी के कालम (3) में उल्लिखित सरकारी स्थानों के संबंध में सम्पदा अधिकारियों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करेंगे।

## सारणी

क्रम सं.	अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थानों की श्रेणियाँ और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2	3
1.	सहायक महाप्रबंधक, सामान्य प्रशासन, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10, बीटीएम सरणी, कोलकाता-700001	यूको बैंक का अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पश्चिम बंगाल राज्य में पट्टे पर लिखा गया अवस्थित स्थान।

[संख्या 65 (2)/2007-बीओ-II]

सुरिन्दर कौर, अवर सचिव

New Delhi, the 16th December, 2010

S.O. 3047.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, No. 65 (2)/2007-BO-II dated 19-02-2010, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (2) of the Table below, being officers equivalent to the rank of a Gazetted Officer of Government to be Estate Officers for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officer by or under the said Act, in respect of the public premises specified in column (3) of the said table.

TABLE

Sl. No.	Designation of the officer	Categories of Public Premises and Local Limits of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Asstt. General Manager, General Administration, UCO Bank, Head Office, 10, B. T. M. Sarani, Kolkata-700 001.	Premises belonging to or taken on lease by or on behalf of the UCO Bank and situated in the State of West Bengal.

[F.No.65(2)/2007-BO. II]

SURINDER KAUR, Under Secy.

कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क

भोपाल, 19 नवम्बर, 2010

सं. 14/2010

का.आ. 3048.—श्री के. एम. बर्डे, प्रशासनिक अधिकारी, समूह ख, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, आयुक्तालय भोपाल, निवर्तन की

आयु प्राप्त करने पर, दिनांक 31 अक्टूबर, 2010 को अपरान्ह में शासकीय सेवा से निवृत्त हुये।

[फा. संख्या II (03)/08/2010/ ई टी-1]

अरविन्द सिंह, आयुक्त

OFFICE OF THE COMMISSIONER, CUSTOMS,  
CENTRAL EXCISE AND SERVICE TAX

Bhopal, the 19th November, 2010

No. 14/2010

S.O. 3048.—Shri K. M. Bharde, Administrative Officer, Group 'B', Customs & Central Excise, Bhopal having attained the age of superannuation, retired from Government service in the afternoon of 31st October 2010.

[C. No. II (3)/08/2010/Et-I]

ARVIND SINGH, Commissioner

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2010

का.आ. 3049.—केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा परिषद् से परामर्श करके, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है नामतः

उक्त प्रथम अनुसूची में 'मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता' कॉलम (2) में और "उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर" उड़ीसा के समक्ष "पंजीकरण के लिए संक्षिप्त रूप" शीर्षक के अंतर्गत [कॉलम (3) में] निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामतः

2	3
बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी	एम.बी.बी.एस.  (हाई टेक मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल), भुवनेश्वर, उड़ीसा में प्रशिक्षित किए जा रहे विद्यार्थियों के संबंध में उत्कल विश्वविद्यालय, उड़ीसा द्वारा सितम्बर, 2010 में या इसके बाद प्रदान की गई चिकित्सा अर्हता मान्यताप्राप्त होगी)।

[संख्या यू.-12012/85/2004-एम. ई. (पी-II)]

अनिता त्रिपाठी, अवर सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

New Delhi, the 6th December, 2010

S.O. 3049.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the section 11 of the Indian Medical

Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely :-

In the said First Schedule against "Utkal University, Bhubaneswar, Orissa" under the heading 'Recognized Medical Qualification' [in column (2)] and under the heading 'Abbreviation for Registration' [in column (3)], the following shall be inserted, namely :-

2	3
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery	M.B.B.S. (This shall be a recognized medical qualification when granted by Utkal University, Bhubaneswar, Orissa on or after September 2010 in respect of students trained at Hi- Tech Medical College & Hospital, Bhubaneswar, Orissa)
	[F. No. U-12012/85/2004-ME (P-II)] ANITA TRIPATHI, Under Secy.

#### कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2010

क्र.आ. 3050—केन्द्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में निम्नलिखित कार्यालयों को जिनके न्यूनतम 80 प्रतिशत कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :

1. प्रादेशिक निदेशक कार्यालय	कोलकाता
2. शासकीय समापक कार्यालय, उच्च न्यायालय कलकत्ता से संबद्ध	कोलकाता
3. शासकीय समापक कार्यालय, पटना उच्च न्यायालय से संबद्ध	पटना
4. शासकीय समापक कार्यालय, झारखण्ड उच्च न्यायालय से संबद्ध	रांची
5. कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, उड़ीसा	कटक
6. शासकीय समापक का कार्यालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय से संबद्ध	कटक

[फा. सं. ई-11016/1/2010-हिन्दी]

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

#### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 13th December, 2010

S.O. 3050.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices, as 80% of the staff where of have acquired working knowledge of Hindi :-

1. Office of the Regional Director, Eastern Region,	Kolkata
2. Office of the Official Liquidator, High Court at Calcutta, W.B.,	Kolkata

3. Office of the Official Liquidator, Patna High Court,	Patna
4. Office of the Official Liquidator, Jharkhand High Court,	Ranchi
5. Office of the Registrar of Companies, Orissa,	Cuttak
6. Office of the Official Liquidator, Orissa High Court,	Cuttak

[No. E-11016/1/2010-Hindi]

J. S. GUPTA, Under Secy.

#### कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2010

क्र.आ. 3051—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अधिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के ब्यौरे रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम (पीएलजी)/भूमि/388, तारीख 27 जुलाई, 2010 का निरीक्षण कलक्टर, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 के कार्यालय में या साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), सीपत रोड, बिलासपुर-495006 (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में किया जा सकता है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

उक्त अनुसूची में विहित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति-

- संपूर्ण भूमि में या उसके किसी भाग के अर्जन या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों के प्रति आक्षेप कर सकेगा; या
- भूमि में के किसी हित के प्रतिकर या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का दावा कर सकेगा; या
- प्रभावहीन हो गई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों, खनन पट्टों के अधीन अर्जित किए जाने पर अधिकारों के लिए प्रतिकर प्राप्त कर सकेगा और उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट भूमि के कोरों से संग्रहण या अन्य खनिज नमूनों तथा उनके सम्यक् विश्लेषण को तथा किसी अन्य सुसंगत अभिलेख या सामग्रियों की निर्मित से संबंधित सभी मानचित्र चार्ट और अन्य दस्तावेज परिदत्त कर सकेगा।

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, भारसाधक अधिकारी या विभागाध्यक्ष (राजस्व), साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर-495006 (छत्तीसगढ़) को भेजेंगे।

## अनुसूची

सैंधोपारा--1 ब्लॉक, भटगांव क्षेत्र,

जिला--सरगुजा (छत्तीसगढ़)

[रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम (पीएलजी)/भूमि/388, तारीख 27 जुलाई, 2010] (पूर्वक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शाते हुए)

## (क) राजस्व भूमि :

क्रम सं.	ग्राम	ग्राम संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणी
1.	बंसीपुर	44	प्रतापपुर	सरगुजा	75.000	भाग
2.	जरही	20	प्रतापपुर	सरगुजा	40.000	भाग

कुल क्षेत्र :--115.000 हेक्टर (लगभग) या 284.16 एकड़ (लगभग)

## (ख) राजस्व वन भूमि (सीजेजे/बीजेजे) :

क्रम सं.	ग्राम	ग्राम संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणी
1.	बंसीपुर	44	प्रतापपुर	सरगुजा	18.000	भाग
2.	जरही	20	प्रतापपुर	सरगुजा	22.000	भाग

कुल क्षेत्र :--40.000 हेक्टर (लगभग) या 98.84 एकड़ (लगभग)

## (ग) आरक्षित वन भूमि :

क्रम सं.	कम्पार्टमेंट संख्या	उप संभाग	संभाग	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणी
1.	1682 पी और 1683 पी	सुरजपुर	दक्षिण सरगुजा	25.000	भाग

कुल क्षेत्र :--25.000 हेक्टर (लगभग) या 61.78 एकड़ (लगभग)

कुल योग (क + ख + ग) :--180.000 हेक्टर (लगभग)

444.78 एकड़ (लगभग)

## सीमा वर्णन :--

क-ख रेखा ग्राम जरही में बिन्दु "क" से आरंभ होती है और ग्राम जरही के पूर्वी भाग से होती हुई जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है ।

ख-ग रेखा ग्राम जरही के उत्तरी भाग से होकर ग्राम बंसीपुर में प्रवेश करती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है ।

ग-घ रेखा ग्राम बंसीपुर के पश्चिमी भाग से होती हुई जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है ।

घ-क रेखा ग्राम बंसीपुर के दक्षिणी भाग से होकर ग्राम जरही में प्रवेश करती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[ फा. सं. 43015/18/2010-पी.आर.आई.डब्ल्यू-1 ]

एम. शहाबुद्दीन, अवर सचिव

## MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 9th December, 2010

S.O. 3051.—Whereas, it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule annexed hereto;

And whereas, the plan bearing number SECL/BSP/GM (Plg)/Land/388, dated the 27th July, 2010 containing details of the areas of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the Collector, Surguja (CG) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata-700001 or at the office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Sceptat Road, Bilaspur-495006 (Chhattisgarh);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from lands described in the said Schedule;

Any person interested in the land described in the said Schedule may-

- (i) object to the acquisition of the whole or any part of the land, or of any rights in or over such land; or
- (ii) claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land; or
- (iii) seek compensation for prospecting licences ceasing to have effect, rights under mining leases being acquired, and deliver all maps, charts and other documents relating to the land, collection from the land of cores or other mineral samples and due analysis thereof and the preparation of any other relevant record or materials referred to in sub-section (7) of Section 13 of the said Act.

To the Officer-in-Charge or Head of the Department (Revenue), South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, Bilaspur-495006 (Chhattisgarh), within a period of ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

### SCHEDULE

#### Sendhopara-I Block, Bhatgaon Area District-Surguja (CG)

(Plan bearing number-SECL/BSP/GM (Plg)/Land/388, dated the 27th July, 2010) (Showing the land notified for prospecting )

#### A. Revenue Land:

Sl. No.	Name of village	Village number	Name of Tehsil	Name of District	Area in hectares	Remarks
1.	Bansipur	44	Pratap pur	Surguja	75.000	Part
2.	Jarhi	20	Pratap pur	Surguja	40.000	Part
Total :- 115.000 hectares (approximately) OR 284.16 acres (approximately)						

#### B. Revenue Forest Land (CJJ/BJJ):

Sl. No.	Name of village	Village number	Name of Tehsil	Name of District	Area in hectares	Remarks
1.	Bansipur	44	Pratap pur	Surguja	18.000	Part
2.	Jarhi	20	Pratap pur	Surguja	22.000	Part
Total :- 40.000 hectares (approximately) OR 98.94 acres (approximately)						

#### (C) RESERVE FOREST LAND:

Sl. No.	Compartment number	Sub Division	Division	Area in hectares	Remarks
1.	1682 P & 1683 P	Surajpur	South Surguja	25.000	Part
Total :- 25.000 hectares (approximately) OR 61.78 acres (approximately)					

Grant Total (A+ B + C) = 180.000 hectares (approximately)

OR 444.78 acres (approximately)

#### BOUNDARY DESCRIPTION :-

- A-B Line Starts from point 'A' in village Jarhi and passes through eastern part of village Jarhi and meets at point "B".  
 B-C Line passes through northern part of village Jarhi then enter in village Bansipur and meets at point "C".  
 C-D Line passes through western part of village Bansipur and meets at point "D".  
 D-A Line passes through southern part of village Bansipur then enter in village Jarhi and meets at starting Point "A".

[File No. 43015/18/2010-PRIW-I]  
M. SHAHABUDEEN, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2010

का.आ. 3052.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3443 तारीख 10 दिसम्बर, 2009 जो भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 19 दिसम्बर, 2009 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थान में ऐसी भूमि या उस पर के सभी अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है;

और केन्द्रीय सरकार को पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और छत्तीसगढ़ सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 2035.935 हेक्टर (लगभग) या 5030.79 एकड़ (लगभग) मापवाली भूमि के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 2035.935 हेक्टर (लगभग) या 5030.79 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्यांक एसईसीएल/बीएसपी/जीएम/(पीएलजी)/भूमि/10/382, तारीख 8 मई, 2010 का निरीक्षण कलेक्टर, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, कार्जिसल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), सीपत रोड, बिलासपुर-495006 (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में किया जा सकता है।

### अनुसूची

पेलमा ब्लॉक, मांड रायगढ़ कोलफील्ड्स, रायगढ़ क्षेत्र

जिला--रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

(रेखांक संख्यांक--एसईसीएल/बीएसपी/जीएम (पीएलजी)/भूमि 10/382 तारीख 8 मई, 2010)

सभी अधिकार :

(क) राजस्व भूमि :

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का संख्या	ग्राम संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणियां
1.	पेलमा	29	188	घरघोड़ा	रायगढ़	520.967	संपूर्ण
2.	उरबा	29	08	घरघोड़ा	रायगढ़	362.911	संपूर्ण
3.	लालपुर	29	285	घरघोड़ा	रायगढ़	284.855	संपूर्ण
4.	मण्डवाडूमर	29	250	घरघोड़ा	रायगढ़	86.268	संपूर्ण
5.	जरहीडीह	29	113	घरघोड़ा	रायगढ़	135.722	संपूर्ण
6.	हिन्दर	29	317	घरघोड़ा	रायगढ़	225.243	संपूर्ण
7.	सक्ता	30	298	घरघोड़ा	रायगढ़	36.282	भाग
8.	मिलूपारा	30	254	घरघोड़ा	रायगढ़	65.242	भाग

कुल :--1717.490 हेक्टर (लगभग) या 4243.92 एकड़ (लगभग)



## (ख) राजस्व वन भूमि (सीजेजे और बीजेजे) :

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी हक्का संख्या	ग्राम संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणियां
1.	पेलमा	29	188	घरघोड़ा	रायगढ़	107.634	संपूर्ण
2.	उरबा	29	08	घरघोड़ा	रायगढ़	59.189	संपूर्ण
3.	मण्डवाडूमर	29	290	घरघोड़ा	रायगढ़	3.209	संपूर्ण
4.	जरहीडीह	29	113	घरघोड़ा	रायगढ़	51.267	संपूर्ण
5.	हिन्दार	29	317	घरघोड़ा	रायगढ़	67.407	संपूर्ण
6.	सक्ता	30	298	घरघोड़ा	रायगढ़	2.574	भाग
7.	मिलूपारा	30	244	घरघोड़ा	रायगढ़	8.165	भाग

कुल :--299,445 हेक्टर (लगभग) या 739.93 एकड़ (लगभग)

## (ग) आरक्षित वन भूमि :

क्रम सं.	वन का नाम	वन का प्रकार	रेंज	डिवीजन	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणियां
1.	तोलगे पश्चिम	आरक्षित वन	तपनार	रायगढ़	19.000	भाग

कुल :--19.000 हेक्टर (लगभग) या 46.94 एकड़ (लगभग)

कुल योग (क + ख + ग) :--2035.935 हेक्टर (लगभग)

या 5030.79 एकड़ (लगभग)

1.	ग्राम पेलमा (संपूर्ण) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक--	1 से 743
2.	ग्राम उरबा (संपूर्ण) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक--	1 से 530
3.	ग्राम लालपुर (संपूर्ण) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक--	1 से 504
4.	ग्राम मण्डवाडूमर (संपूर्ण) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक--	1 से 86
5.	ग्राम जरहीडीह (संपूर्ण) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक--	1 से 216
6.	ग्राम हिन्दार (संपूर्ण) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक--	1 से 278
7.	ग्राम सक्ता (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक--	33 से 96
8.	ग्राम मिलूपारा (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक--	1 से 23, 25 से 30 53, 54, 57 से 73, 432 से 444, 547 से 550, 552

## सीमा वर्णन

क-ख-ग-घ रेखा, ग्राम पेलमा--उरबा के सम्मिलित सीमा में बिन्दु "क" से आरंभ होती है और ग्राम पेलमा और सिलोट आरक्षित वन की सम्मिलित सीमा तथा बिन्दु "ख", बिन्दु "ग" से होती हुई बिन्दु "घ" पर मिलती है।

घ-ङ रेखा, ग्राम उरबा और तोलगे पश्चिमी आरक्षित वन की सम्मिलित सीमा से होती हुई जाती है और बिन्दु "ङ", पर मिलती है।

- इ-च रेखा, तोलगे पश्चिमी आरक्षित वन के दक्षिणी भाग से होती हुई जाती है और ग्राम उरबा और तोलगे पश्चिमी आरक्षित वन की सम्मिलित सीमा में बिन्दु "च" पर मिलती है।
- च-छ रेखा, ग्राम उरबा और तोलगे पश्चिमी आरक्षित वन की भागतः सम्मिलित सीमा से गुजरती है और बिन्दु "छ" पर मिलती है।
- छ-ज-झ-ञ रेखा, तोलगे पश्चिम आरक्षित वन के दक्षिणी भाग से होते हुए जाती है तथा बिन्दु "ज" बिन्दु "झ", से होती हुई ग्राम उरबा और तोलगे पश्चिमी आरक्षित वन की सम्मिलित सीमा में बिन्दु "ञ" पर मिलती है।
- ज-ट रेखा, तोलगे पश्चिमी आरक्षित वन के दक्षिणी भाग से होती हुई जाती है और ग्राम हिन्दर और तोलगे पश्चिमी आरक्षित वन के सम्मिलित सीमा में बिन्दु "ट" पर मिलती है।
- ट-ठ रेखा, ग्राम हिन्दर और तोलगे पश्चिमी आरक्षित वन तथा हिन्दर और तोलगे पूर्व आरक्षित वन के सम्मिलित सीमा से गुजरती है और बिन्दु "ठ" पर मिलती है।
- ठ-ड रेखा, ग्राम जरहीडीह--तोलगे पूर्व आरक्षित वन तथा लालपुर--तोलगे पूर्व आरक्षित वन के सम्मिलित सीमा से गुजरती हुई जाती है और ग्राम लालपुर--मिलूपारा--तोलगे पूर्व आरक्षित वन की सम्मिलित सीमा में बिन्दु "ड" पर मिलती है।
- ड-ढ रेखा, ग्राम मिलूपारा के प्लॉट संख्यांक 443/1 से 443/7, 444, 432, 433/3, 72/1-72/14, 73, 61, 57/1 से 57/25 की दक्षिणी सीमा तथा 54 से गुजरती हुई प्लॉट संख्यांक 53, 29, 30, 28/1, 28/2 के दक्षिणी सीमा, 25/2 की पश्चिमी सीमा, 25/1 से 26/1, 22 के दक्षिणी सीमा और 23 से होकर बिन्दु "ढ" पर मिलती है।
- ढ-ण रेखा, ग्राम मिलूपारा--सक्ता की भागतः सम्मिलित सीमा से गुजरती है और बिन्दु "ण" पर मिलती है।
- ण-त रेखा, ग्राम सक्ता के प्लॉट संख्यांक 95/1ट/2, 95/1छ ज, 93/102, 94 की दक्षिणी सीमा प्लॉट संख्यांक 85/3, 85/2, 85/1, 86/1, 84/2, 84/1, 83, 34, 33 की पश्चिमी सीमा से होती हुई जाती है फिर ग्राम भण्डवाडूमर में प्रवेश करती है और प्लॉट संख्यांक 57, 58/6, 58/5, 58/4, 58/3, 58/2, 58/1, 70, 74 की दक्षिणी सीमा से होकर जाती है और ग्राम मंडवाडूमर--सिलोट आरक्षित वन के बिन्दु "त" पर मिलती है।
- त-थ रेखा, ग्राम मंडवाडूमर--सिलोट आरक्षित वन की सम्मिलित सीमा से गुजरती है और बिन्दु "थ" पर मिलती है।
- थ-द रेखा, ग्राम लालपुर--सिलोट आरक्षित वन की सम्मिलित सीमा से गुजरती है और बिन्दु "द" पर मिलती है।
- द-ध रेखा, ग्राम लालपुर के प्लॉट संख्यांक 2, 11, 12 की पूर्वी सीमा, प्लॉट संख्या 12, 13, 14, 17 के उत्तरी सीमा, प्लॉट संख्यांक 16, 20, 27 की पश्चिमी सीमा, प्लॉट संख्या 27 की उत्तरी तथा पूर्वी, प्लॉट संख्यांक 29, 37 के उत्तरी तथा प्लॉट संख्यांक 37, 33, 32, 31, 34 के पूर्वी सीमा से होती हुई बिन्दु "ध" पर मिलती है।
- ध-क रेखा, ग्राम उरबा--सिलोट आरक्षित वन की सम्मिलित सीमा से गुजरती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[ फा. सं. 43015/11/2006-पीआरआईडब्ल्यू-1 ]

एम. राहाबुद्दीन, अवर सचिव

New Delhi, the 10th December, 2010

**S.O. 3052.**—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S. O. 3443 dated the 10th December, 2009, issued under sub-section (1) of Section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 19th December, 2009, the Central Government gave notice of its intention to acquire the land and all rights in or over such lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas, the competent authority in pursuance of Section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the aforesaid report and after consulting the Government of Chhattisgarh, is satisfied that the lands measuring 2035.935 hectares (approximately) or 5030.79 acres (approximately) as all rights in or over such lands as described in Schedule appended hereto, should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the land measuring 2035.935 hectares (approximately) or 5030.79 acres (approximately) as all rights in or over such lands as described in Schedule are hereby acquired.

The Plan bearing number SECL/BSP/GM/ (PLG)/LAND/10/382 dated the 8th May, 2010 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Raigarh (Chhattisgarh) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata—700001 or in the Office of the South Eastern Coalfield Limited (Revenue Section), Sceptat Road, Bilaspur-495006 (Chhattisgarh).

### SCHEDULE

#### Pelma Block, Mand Raigarh Coalfields, Raigarh Area

#### Distt-Raigarh (Chhattisgarh)

[Plan bearing number SECL/BSP/GM (PLG)/Land/10/382, dated the 8th May, 2010]

All Rights :

(A) Revenue Land :

(B)

Sl. No.	Name of Village	Patwari halka number	Village number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Pelma	29	188	Gharghoda	Raigarh	520.967	Full
2.	Urba	29	08	Gharghoda	Raigarh	362.911	Full
3.	Lalpur	29	285	Gharghoda	Raigarh	284.855	Full
4.	Madwadumar	29	250	Gharghoda	Raigarh	86.268	Full
5.	Jarhidih	29	113	Gharghoda	Raigarh	135.722	Full
6.	Hinjhar	29	317	Gharghoda	Raigarh	225.243	Full
7.	Sakta	30	298	Gharghoda	Raigarh	36.282	Part
8.	Milupara	30	254	Gharghoda	Raigarh	65.242	Part

Total :- 1717.490 hectars (approximately) or 4243.92 acres (approximately).

(B) Revenue Forest Land (CJJ & BJJ) :

Sl. No.	Name of village	Patwari halka number	Village number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Pelma	29	188	Gharghoda	Raigarh	107.634	Full
2.	Urba	29	08	Gharghoda	Raigarh	59.189	Full
3.	Madwadumar	29	250	Gharghoda	Raigarh	3.209	Full
4.	Jarhidih	29	113	Gharghoda	Raigarh	51.267	Full
5.	Hinjhar	29	317	Gharghoda	Raigarh	67.407	Full
6.	Sakta	30	298	Gharghoda	Raigarh	2.574	Part
7.	Milupara	30	254	Gharghoda	Raigarh	8.165	Part

Total :- 299.445 hectares (approximately) or 739.93 acres (approximately).

**(C) Reserve Forest Land :**

Sl. No.	Name of Forest	Type of Forest	Range	Division	Area in hectares	Remarks
1.	Tolge West	Reserve forest	Tannar	Raigarh	19.000	Part
<b>Total :— 19.000 hectares approximately or 46.94 Acres (approximately).</b>						

**Grand Total (A + B + C) :- 2035.935 hectares (approximately)  
or 5030.79 acres (approximately)**

1.	Plot Numbers to be acquired in village Pelma (Full) :—	1 to 743
2.	Plot Numbers to be acquired in village Urba (Full) :—	1 to 530
3.	Plot Numbers to be acquired in village Lalpur (Full) :—	1 to 504
4.	Plot Numbers to be acquired in village Madwadumar (Full) :—	1 to 86
5.	Plot Numbers to be acquired in village Jarhidih (Full) :—	1 to 216
6.	Plot Numbers to be acquired in village Hinjhar (Full) :—	1 to 278 33 to 96
7.	Plot Numbers to be acquired in village Sakta (Full) :—	1 to 23, 25 to 30, 53,
8.	Plot Numbers to be acquired in village Milupara (Part) :—	54, 57 to 73, 432 to 444, 547 to 550, 552.

**Boundary Description :**

A-B-C-D	Line starts from point 'A' on the common boundary of villages Pelma-Urba and passes along the common boundary of village Pelma and Silot Reserve Forest, point 'B', point 'C' and meets at point 'D' on the common boundary of villages Pelma-Urba and Tolge West Reserve Forest.
D-E	Line passes along common boundary of village Urba and Tolge West Reserve Forest and meets at point 'E'.
E-F	Line passing through southern part of Tolge West Reserve Forest and meets at point 'F' on the common boundary of village Urba and Tolge West Reserve Forest.
F-G	Line passes along partly common boundary of village Urba and Tolge West Reserve Forest and meets at point 'G'.
G-H-I-J	Line passes through southern part of Tolge West Reserve Forest point 'H', Point 'I' and meets at point 'J' on the common boundary of village Urba and Tolge West Reserve Forest.
J-K	Line passes through southern part of Tolge West Reserve Forest and meets at point 'K' on the common boundary of village Hinjhar and Tolge West Reserve Forest.
K-L	Line passes along common boundary of village Hinjhar and Tolge West Reserve Forest and meets at point 'L'.
L-M	Line passes along common boundary of village Jarhidih-Tolge East Reserve Forest and Lalpur-Tolge East Reserve Forest and meets at point 'M' on the common boundary of village Lalpur-Milupara-Tolge East Reserve Forest.
M-N	Line passes in village Milupara along southern boundary of plot numbers 443/1 to 443/7, 444, 432, 433/3, 72/1 to 72/14, 73, 61, 57/1 to 57/25, through 54, southern boundary of plot numbers 53, 29, 30, 28/1, 28/2 western boundary of plot number 25/2, southern boundary of plot numbers 25/1- 26/1, 22, through 23 and meets at point 'N'.
N-O	Line passes along the partly common boundary of villages Milupara-Sakta and meets and meets at point 'O'.
O-P	Line passes in village Sakta along southern boundary of plot numbers 95/1K/2, 95/1gh, 93/1Q2, 94, western boundary of plot number 85/3, 85/2, 85/1, 86/1, 84/2, 84/1, 83, 34, 33, then enter in village Madwadumar and passes along southern boundary of plot numbers 57, 58/6, 58/5, 58/4, 58/3, 58/2, 58/1, 70, 74 and meets at point 'P' on the common boundary of village madwadumar-Silot Reserve Forest.
P-Q	Line passes along common boundary of village Madwadumar-Silot Reserve Forest and meets at point 'Q'.
Q-R	Line passes along common boundary of village Lalpur-Silot Reserve Forest and meets at point 'R'.
R-S	Line passes in village Lalpur along eastern boundary of plot numbers 2, 11, 12 northern boundary of plot numbers 12, 13, 14, 17, western boundary of plot numbers 16, 20, 27, northern & eastern boundary of plot numbers 27 northern boundary of plot numbers 29, 37, eastern boundary of plot numbers 37, 33, 32, 31, 34 and meets at point 'S'.
S-A	Line passes along common boundary of village Urba-Silot Reserve Forest and meets at starting point 'A'.

[F.No. 43015/11/2006-PRIW-I]

M. SHAHABUDEEN, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2010

का.आ. 3053.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार में कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1038 तारीख 19 अप्रैल, 2010 जो भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 24 अप्रैल, 2010 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 12.418 हेक्टर (लगभग) या 30.68 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वोक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विहित उक्त भूमि के भाग में कोयला अधिप्राप्य है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 12.418 हेक्टर (लगभग) या 30.68 एकड़ (लगभग) माप की उक्त भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम(पीएलजी)/भूमि/384 तारीख 4 जून, 2010 का निरीक्षण कलेक्टर, शहडोल (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, कार्टसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, (राजस्व अनुभाग) सीपत रोड, बिलासपुर-495006 (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

टिप्पण 2 : उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध हैं :-

अर्जन की बाबत आपत्तियाँ :

“8(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्ही अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण :

- (1) इस धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन सक्रियाएँ करना चाहता है और ऐसी सक्रियाएँ केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए ।
- (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम अधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने, विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि का या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़े या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा ।
- (3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकार में हित का दावा करने का हकदार होगा, यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं ।”

टिप्पण 3 : केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, कार्टसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 4 अप्रैल, 1987 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. आ. 905, तारीख 20 मार्च, 1987 द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है ।

### अनुसूची

राजेन्द्र यू/जी खान ब्लॉक, सोहागपुर क्षेत्र जिला-शहडोल (मध्य प्रदेश)

[रेखांक संख्या-एसईसीएल/बीएसपी/जीएम(पीएलजी)/भूमि/384 तारीख 4 जून, 2010]

भू-सतह अधिकार :

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का संख्या	बंदोबस्त संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणियाँ
1.	छिरीडी	99	316	सोहागपुर	शहडोल	12.418	भाग

कुल :- 12.418 हेक्टर (लगभग)  
या 30.68 एकड़ (लगभग)

1. ग्राम छिरिहीटी ( भाग ) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्या :

35 से 37, 38( भाग ), 75( भाग ), 76( भाग ), 77( भाग ), 78( भाग ), 83( भाग ), 84( भाग ), 85 से 93 ।

सीमा वर्णन :

- क-ख रेखा, ग्राम छिरिहीटी में बिन्दु "क" से आरंभ होती है और प्लॉट संख्यांक 75, 76, 77, 78, 84, 83 से होती हुई जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है ।
- ख-ग रेखा, ग्राम छिरिहीटी के प्लॉट संख्यांक 38 से होकर प्लॉट संख्यांक 36 के भागतः उत्तरी सीमा और 35 की उत्तरी सीमा से होती हुई जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है ।
- ग-घ रेखा, ग्राम छिरिहीटी के प्लॉट संख्यांक 35, 88, 87, 89 की पूर्वी सीमा से होती हुई जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है ।
- घ-ङ रेखा, ग्राम छिरिहीटी के प्लॉट संख्यांक 89, 90, 93, 92 की दक्षिणी सीमा से होती हुई जाती है और बिन्दु "ङ" पर मिलती है ।
- ङ-क रेखा, ग्राम छिरिहीटी के प्लॉट संख्यांक 92, 78 की दक्षिणी सीमा और प्लॉट संख्यांक 75 के भागतः दक्षिणी सीमा से होती हुई जाती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[फा. सं. 43015/05/2010-पीआरआईडब्ल्यू-1]

एम. शहाबुद्दीन, अवर सचिव

New Delhi, the 15th December, 2010

**S.O. 3053 .—**Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1038 dated the 19th April, 2010 issued under sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section (ii) dated the 24th April, 2010, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 12.418 hectares (approximately) or 30.68 acres (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands prescribed in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the lands measuring 12.418 hectares (approximately) or 30.68 acres (approximately) as Surface Rights in or over the said lands described in the Schedule appended hereto:

**Note 1 :** The plan bearing number SECLBSP/GM(PLG)/LAND/384 dated the 4th June, 2010 of the area covered by this notification may be inspected at the Office of the Collector, Shahdol (Madhya Pradesh) or at the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700001 or at the Office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur, 495006 (Chhattisgarh).

**Note 2 :** Attention is hereby invited to the provisions of Section 8 of the said Act which provides as follows :—

**Objection to Acquisition:**

"8(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under Section 7 has been issued, may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or any rights in or over such land.

**Explanation:**

- (1) It shall not be an objection within the meaning of this Section for any person to say that he himself desires to undertake mining operation in the land for the production of coal and that such operation should not be undertaken by the Central Government or by any other person.
- (2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and

shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either makes a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of Section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of the Government.

- (3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act."

**Note 3 :** The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700001, has been appointed by the Central Government as the competent authority under Section 3 of the said Act, vide notification number S.O. 905, dated the 20th March, 1987, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 4th April, 1987.

### SCHEDULE

#### Rajendra U/G Mine Block, Sohagpur Area Distt- Shahdol (Madhya Pradesh)

[Plan bearing number SECL/BSP/GM(PLG)/LAND/ 384 dated the 4th June, 2010]

#### Surface Rights :

Sr. No.	Name of village	Patwari halka number	Bandobast number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Chhirihiti	99	316	Sohagpur	Shahdol	12.418	Part
						Total : 12.418 hectares (Approximately) Or 30.68 acres (Approximately)	

#### 1. Plot numbers to be acquired in village Chhirihiti (Part):

35 to 37, 38(P), 75(P), 76(P), 77(P), 78(P), 83(P), 84(P), 85 to 93.

#### Boundary Description:

- A-B Line starts from point 'A' in village Chhirihiti and passes through plot number 75, 76, 77, 78, 84, 83 and meets at point 'B'.
- B-C Line passes in village Chhirihiti through plot number 38, along partly northern boundary of plot number 36, northern boundary of plot number 35 and meets at point 'C'.
- C-D Line passes in village Chhirihiti along eastern boundary of plot number 35, 88, 87, 89 and meets at point 'D'.
- D-E Line passes in village Chhirihiti along southern boundary of plot number 89, 90, 93, 92 and meets at point 'E'.
- E-A Line passes in village Chhirihiti along southern boundary of plot number 92, 78, partly southern boundary of plot number 75 and meets at starting point 'A'.

[F.No. 43015/05/2010-PRIW-I]

M. SHAHABUDEEN, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2010

का.आ. 3054.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र की भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम/जी/प्लानिंग/भूमि/10/389 तारीख 03 सितम्बर, 2010 का निरीक्षण कलेक्टर, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1 कार्डिसिल हाउस स्ट्रीट कोलकाता-700001 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, (राजस्व अनुभाग) सीपत रोड, बिलासपुर-495006 (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में किया जा सकता है (भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

उक्त अनुसूची में विहित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति -

- (i) संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग के अर्जन या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों के प्रति आक्षेप, या
- (ii) यदि भूमि में के किसी हित के प्रतिकर या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का दावा,
- (iii) प्रभावहीन हो गई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों, खनन पट्टों के अधीन अर्जित किए जाने पर अधिकारों के लिए प्रतिकर प्राप्त कर सकेगा और उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट भूमि के कोरों से संग्रहण या अन्य खनिज नमूनों तथा उनके सम्यक् विश्लेषण को तथा किसी अन्य सुसंगत अभिलेख या सामग्रियों की निर्मिति से संबंधित सभी मानचित्र चार्ट और अन्य दस्तावेज परिदत्त,

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, भारसाधक अधिकारी या विभागाध्यक्ष (राजस्व), साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर-495006 (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में कर सकेगा ।

### अनुसूची

छाल ओपनकास्ट विस्तार ब्लॉक

रायगढ़ क्षेत्र

जिला-रायगढ़ ( छत्तीसगढ़ )

(रेखांक संख्या-एसईसीएल/बीएसपी/जीएम/प्लानिंग/भूमि/10/389 तारीख 03 सितम्बर, 2010) (पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शाते हुए)

(क) राजस्व भूमि :

क्रम सं.	ग्राम	पटवारी हल्का संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणी
1.	छाल	30	धरमजयगढ़	रायगढ़	906.481	पूर्ण
2.	बंधापाली	30	धरमजयगढ़	रायगढ़	274.00	पूर्ण
3.	खेदापाली	31	धरमजयगढ़	रायगढ़	174.027	पूर्ण
4.	चंद्रशेखरपुर	31	धरमजयगढ़	रायगढ़	479.193	पूर्ण
5.	नवापारा	31	धरमजयगढ़	रायगढ़	232.609	पूर्ण
6.	पुसल्दा	31	धरमजयगढ़	रायगढ़	967.518	पूर्ण

कुल :- 3033.828 हेक्टर ( लगभग ) या 7496.59 एकड़ ( लगभग )

(ख) वन भूमि :

क्रम सं.	वन का नाम	वन का प्रकार	रेंज	डिवीजन	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पण
1.	लात	पीएफ	छाल	धरमजयगढ़	176.710	पूर्ण
2.	चंद्रशेखरपुर	पीएफ	छाल	धरमजयगढ़	425.000	भाग

कुल क्षेत्र :- 601.710 हेक्टर ( लगभग ) या 1486.82 एकड़ ( लगभग )

कुल योग (क+ख)=3635.538 हेक्टर ( लगभग )

या 8983.41 एकड़ ( लगभग )



**सीमा वर्णन :**

- क-ख-ग रेखा, ग्राम छाल में "क" बिन्दु से आरंभ होती है और ग्राम छाल-बोकरामुडा, बिन्दु "ख" ग्राम छाल-कन्साबहार, छाल-गदईबहरी के सम्मिलित सीमा से होती हुई जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है ।
- ग-घ-ङ रेखा, ग्राम छाल-गदईबहरी, नवापारा-गदईबहरी, बिन्दु "घ", ग्राम नवापारा-बोगीया, नवापारा-छीटापाली, पुसल्दा-छीटापाली, पुसल्दा-बहेरामुडा के सम्मिलित सीमा से होती हुई जाती है और "ङ" बिन्दु पर मिलती है ।
- ङ-च-छ रेखा ग्राम पुसल्दा-बरमुडा, चंद्रशेखरपुर-बरमुडा, चंद्रशेखरपुर-गुरदा, बिन्दु "च" चंद्रशेखरपुर-देहजारी, चंद्रशेखरपुर-डोमनारा के सम्मिलित सीमा से होती हुई जाती है और "छ" बिन्दु पर मिलती है ।
- छ-ज-झ-ञ रेखा ग्राम चंद्रशेखरपुर-लात के भागत सम्मिलित सीमा और बिन्दु "ज" से गुजरती है फिर ग्राम लात के पूर्वी भाग तथा बिन्दु "झ" से होकर जाती है और ग्राम लात-खेदापाली के सम्मिलित सीमा में "ञ" बिन्दु पर मिलती है ।
- ञ-ट-ठ रेखा ग्राम लात-खेदापाली, लात-बंधापाली, बिन्दु "ट" और ग्राम लात-छाल के सम्मिलित सीमा से होती हुई जाती है और "ठ" बिन्दु पर मिलती है ।
- ठ-क रेखा ग्राम छाल के पश्चिमी सीमा से होती हुई जाती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[फा. सं. 43015/19/2010-पीआरआईडब्ल्यू-1]

एम. शहाबुद्दीन, अवर सचिव

New Delhi, the 15th December, 2010

**S.O. 3054.**—Whereas it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands in the locality described in the Schedule annexed hereto;

And Whereas, the plan bearing number SECL/BSP/GM/PLANING/L and/10/389 dated 3rd September, 2010 of the area covered by this notification can be inspected at the office of the Collector, Raigarh (Chhattisgarh) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata-700001 or at the office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur -495006 (Chhattisgarh);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from lands described in the said Schedules;

Any persons interested in the land described in the said Schedules may—

- (i) object to the acquisition of the whole or any part of the land, or of any rights in or over such land, or
- (ii) claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land, or
- (iii) seek compensation for prospecting licences ceasing to have effect, rights under mining leases being acquired, and deliver all maps charts and other documents relating to the land, collection from the land of cores or other mineral samples and due analysis thereof and the preparation of any other relevant record or materials referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act,

to the officer-in-Charge or Head of the Department (Revenue), South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, Bilaspur-495006 (Chhattisgarh), within ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

**SCHEDULE****Chhal Opencast Expansion Mine Block,****Dharamjaigarh Area,****District- Raigarh, Chhattisgarh**

(Plan bearing number: SECL/BSP/GM/PLANING/Land/ 10/389 dated the 3rd September, 2010) (Showing the land notified for prospecting).

**(A) Revenue Land:**

Sl. No.	Village	Patwari halka number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Chhal	30	Dharamjaigarh	Raigarh	906.481	Full
2.	Bandhapali	30	Dharamjaigarh	Raigarh	274.00	Full
3.	Khedapali	31	Dharamjaigarh	Raigarh	174.027	Full
4.	Chandrashekharpur	31	Dharamjaigarh	Raigarh	479.193	Full
5.	Nawapara	31	Dharamjaigarh	Raigarh	232.609	Full
6.	Pusalda	31	Dharamjaigarh	Raigarh	967.518	Full

**Total :- 3033.828 hectares (approximately) or 7496.59 acres (approximately)**

**(B) Forest Land :**

Sl. No.	Name of Forest	Type of Forest	Range	Division	Area in hectares	Remarks
1.	Lat	PF	Chhal	Dharamjaigarh	176.710	Full
2.	Chandrashekharpur	PF	Chhal	Dharamjaigarh	425.000	Part

**Total :- 601.710 hectares (approximately) or 1486.82 acres (approximately)**

**Grand Total (A+B)=3635.538 hectares (approximately)  
or 8983.41 acres (approximately)**

**BOUNDARY DESCRIPTION:—**

- A-B-C** Line starts from point 'A' in village Chhal and passes along common boundary of villages Chhal-Bokaramuda, point 'B', Chhal-Kansabhar, Chhal-Gadainbahri and meets at point 'C'.
- C-D-E** Line passes along common boundary of villages Chhal -Gadainbahri, Nawapara-Gadainbahri, point 'D', Nawapara - Bogiya, Nawapara - Chitapali, Pusalda-Chitapali, Pusalda-Baheramuda and meets at point 'E'.
- E-F-G** Line passes along common boundary of villages Pusalda-Barmuda, Chandrashekharpur-Barmuda, Chandrashekharpur-Gurda, point 'F', Chandrashekharpur-Dehjari, Chandrashekharpur-Domnara and meets at point 'G'.
- G-H-I-J** Line passes along partly common boundary of villages Chandrashekharpur-Lat and point 'H' then eastern part of village Lat & point 'I', and meets at point 'J' on the common boundary of villages Lat-Khedapali.
- J-K-L** Line passes along common boundary of villages Lat-Khedapali, Lat-Bandhapali, point 'K', Lat-Chhal and meets at point 'L'.
- L-A** Line passes along western village boundary of village Chhal and meets at starting point "A".

[F.No. 43015/19/2010-PRIW-I]  
M. SHAHABUDEEN, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2010

का.आ. 3055.—केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र की भूमि में कोयला अभिवाह्य किए जाने की संभावना है ;

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले रेखांक संख्या सी-1(ई)/III/जेजेआर/827-0510, तारीख 19 मई, 2010 का निरीक्षण वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, (राज्य विभाग) कोल इस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर-440 001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या मुख्य महाप्रबंधक

(एक्सप्लोरेशन डिवीजन), केन्द्रीय खान, योजना और डिजाइन संस्थान, गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची-834 031 के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700 001 के कार्यालय में या जिला कलेक्टर यवतमाल-445 204 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें उसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वर्णित कोयले का पूर्वोक्त करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति —

- संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग के अर्जन या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों के प्रति आक्षेप, या
- भूमि में के किसी हित के प्रतिकर या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का दावा कर सकेगा, या
- प्रभावहीन हो गई पूर्वोक्त अनुज्ञप्तियों, खनन पट्टों के अधीन अर्जित किए जाने पर अधिकारों के लिए प्रतिकर प्राप्त कर सकेगा और उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट भूमि के कोरों से संग्रहण या अन्य खनिज नमूनों तथा उनके सम्पत्क विश्लेषण को तथा किसी अन्य सुसंगत अभिलेख या सामग्रियों की निर्मित से संबंधित सभी मानचित्र चार्ट और अन्य दस्तावेजों परिदत्त,

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर, मुख्य महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, वणी क्षेत्र, पोस्ट तडाली, तहसील तडाली, जिला चंद्रपुर-441 224 (महाराष्ट्र) या महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भूमि और राजस्व विभाग, कोल इस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर-440 001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में कर सकेगा ।

### अनुसूची

मुंगोली-निरगुडा डीप और नकोडा एक्सटेंशन ब्लॉक

वणी क्षेत्र

जिला यवतमाल (महाराष्ट्र)

[रेखांक संख्या : सी-1(ई)III/जेजेआर/827-0510, तारीख 19 मई, 2010]

“ब्लॉक-1”

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणी
1.	चिंचोली	105	वणी	यवतमाल	173.546	पूर्ण
2.	सावंगी	105	वणी	यवतमाल	83.457	भाग
3.	शिवनी	363	वणी	यवतमाल	365.038	भाग
4.	मुंगोली	108	वणी	यवतमाल	68.604	भाग
5.	साखरा	108	वणी	यवतमाल	20.677	भाग
6.	कोलगांव	108	वणी	यवतमाल	150.788	भाग

कुल क्षेत्र : 862.110 हेक्टर (लगभग)

या 2130.312 एकड़ (लगभग)

“ब्लॉक-1”

सीमा वर्णन :

क-ख रेखा बिन्दु “क” से आरंभ होती है और वर्धा नदी के किनारे गुजरती हुई ग्राम सावंगी तथा ग्राम चिंचोली के ऊपर से होते हुए ग्राम मुंगोली के पास वर्धा नदी के किनारे पर बिन्दु “ख” पर मिलती है ।

- ख-ग रेखा ग्राम चिचोली से निकलकर ग्राम शिवनी की सीमा रेखा से होती हुई ग्राम मुंगोली से निकलती हुई ग्राम कोलगांव की सम्मिलित सीमा के बिन्दु "ग" पर मिलती है ।
- ग-घ रेखा ग्राम साखरा ग्राम कोलगांव से निकलती हुई सम्मिलित सीमा ग्राम साखरा तथा ग्राम कोलगांव के बिन्दु "घ" पर मिलती है।
- घ-ङ रेखा ग्राम कोलगांव ग्राम साखरा के सम्मिलित बिन्दु "घ" से निकलती हुई ग्राम कोलगांव से निकलती हुई सम्मिलित सीमा रेखा ग्राम कोलगांव ग्राम शिवनी के बिन्दु "ङ" पर मिलती है ।
- ङ-च रेखा ग्राम शिवनी से गुजरती हुई शिवनी ग्राम के पास बिन्दु "च" पर मिलती है ।
- च-छ रेखा ग्राम सावंगी से गुजरती हुई बिन्दु "छ" पर मिलती है ।
- छ-क रेखा ग्राम सावंगी से गुजरती हुई वर्धा नदी के किनारे पर आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

## अनुसूची

मुंगोली-निरगुडा डीप और नकोडा एक्सटेंशन ब्लॉक

वणी क्षेत्र

जिला यवतमाल ( महाराष्ट्र )

[रेखांक संख्या : सी-1(ई)III/जेजेआर/827-0510, तारीख 19 मई, 2010]

## "ब्लॉक-II"

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणी
1.	कोलगांव	108	वणी	यवतमाल	120.217	भाग

कुल क्षेत्र : 120.217 हेक्टर ( लगभग )  
या 297.060 एकड़ ( लगभग )

## "ब्लॉक-II"

सीमा वर्णन :

- घ-ज रेखा बिन्दु "घ" से आरंभ होकर ग्राम साखरा और ग्राम कोलगांव की सम्मिलित सीमा से होती हुई पैनगंगा नदी के किनारे पर बिन्दु "ज" पर मिलती है ।
- ज-झ रेखा पैनगंगा नदी के किनारे से गुजरती हुई बिन्दु "झ" पर मिलती है ।
- झ-ञ रेखा ग्राम कोलगांव तथा टाकली की सम्मिलित सीमा से गुजरती हुई बिन्दु "ञ" पर मिलती है ।
- ञ-ट रेखा ग्राम कोलगांव से गुजरती हुई कोलगांव परियोजना के लिए अधिग्रहीत भूमि की सीमा के पास बिन्दु "ट" पर मिलती है ।
- ट-घ रेखा ग्राम कोलगांव तथा मुंगोली परियोजना के लिए अधिग्रहीत भूमि की सीमा से गुजरती हुई आरंभिक बिन्दु "घ" पर मिलती है।

[ फा. सं. 43015/20/2010-पीआरआईडब्ल्यू-1 ]

एम. शहाबुद्दीन, अवर सचिव

New Delhi, the 15th December, 2010

S.O. 3055 .—Whereas it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands in the locality mentioned in the Schedule annexed hereto;

And Whereas, the plan bearing number C-1(E)III/JJR/827-0510, dated the 19th May, 2010 of the area covered by this notification may be inspected at the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440 001 (Maharashtra) or at the office of the Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine

Planning and Design Institute, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi-834031 or at the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata-70 0001 or at the Office of the District Collector, Yavatmal-445 204 (Maharashtra).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal described in the said Schedules;

Any persons interested in the land described in the said Schedules may-

- (i) object to the acquisition of the whole or any part of the land, or of any rights in or over such land, or
- (ii) claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land, or
- (iii) seek compensation for prospecting licences ceasing to have effect, rights under mining leases being acquired, and deliver all maps charts and other documents relating to the land, collection from the land of cores or other mineral samples and due analysis thereof and the preparation of any other relevant record or materials referred to in sub-section (7) of Section 13 of the said Act,

to the Office of the Chief General Manager, Western Coalfields Limited, Wani Area, Post Tadali, Tahsil Tadali, District Chandrapur-441 224 (Maharashtra) or General Manager, Western Coalfields Limited, Land & Revenue Department, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440 001 (Maharashtra) within ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

### SCHEDULE

#### Mungoli-Nirguda Deep and Nakoda Extension Block

#### Wani Area

#### District Yavatmal (Maharashtra)

[Plan bearing number : C-1(E)III/JJR/827-0510, dated 19th May, 2010]

#### “BLOCK-I”

Sl. No.	Name of village	Patwari Circle number	Tahsil	District	Area in (hectares)	Remarks
1.	Chincholi	105	Wani	Yavatmal	173.546	Full
2.	Sawangi	105	Wani	Yavatmal	83.457	Part
3.	Shivni	363	Wani	Yavatmal	365.038	Part
4.	Mungoli	108	Wani	Yavatmal	68.604	Part
5.	Sakhara	108	Wani	Yavatmal	20.677	Part
6.	Kolgaon	108	Wani	Yavatmal	150.788	Part

Total area : 862.110 hectares (approximately)  
or 2130.312 acres (approximatley)

#### “BLOCK-I”

#### BOUNDARY DESCRIPTION:

A-B: Line starts from point 'A' on the Bank of Wardha River in Sawangi village and proceeds along with bank of river and village boundary of village Chincholi and village boundary of Mungoli and meets at Point 'B'.

B-C: Line passes along the village boundary of Chincholi village and cross the Nallah in between Chincholi and Shivni villages and passes through the Mungoli village and common village boundary of Mungoli and Kolgaon village and meets at Point 'C'.

- C-D: Line passes through common village boundary of Kolgaon and Mungoli, Sakhara and through the village boundary of Sakhara and Kolgaon and meets at Point 'D'.
- D-E: Line passes through the common village boundary of Kolgaon and Sakhara and cross the village boundary of village Yenak and meets at common village boundary of Kolgaon and Yenak at Point 'E'.
- E-F: Line passes through the village Shivni and meets at Gaothan village Shivni at Point 'F'.
- F-G: Line passes through village Sawangi and meets at Point 'G'.
- G-A: Line passes through village Sawangi and meets at starting Point 'A'.

### SCHEDULE

#### Mungoli-Nirguda Deep and Nakoda Extension Block

#### Wani Area

#### District Yavatmal (Maharashtra)

[Plan bearing number : C-1(E)III/JJR/827-0510, dated 19th May, 2010]

#### "BLOCK-II"

Sl.No.	Name of village	Patwari Circle number	Tahsil	District	Area in (hectares)	Remarks
1.	Kolgaon	108	Wani	Yavatmal	120.217	Part

Total area : 120.217 hectares (approximately)  
or 297.060 acres (approximatley)

#### "BLOCK-II"

#### BOUNDARY DESCRIPTION:

- D-H: Line starts from Point 'D' on the common village boundary of Sakhara and Kolgaon then passes along with the outer boundary of village Kolgaon and Abadi and meets at Point 'H'.
- H-I: Line passes along the bank of River Penganga and meets at Point 'I'.
- I-J: Line passes along the common village boundary of village Kolgaon and Takli and meets at Point 'J'.
- J-K: Line passes through village Kolgaon and meets at Point 'K'.
- K-D: Line passes through village Kolgaon and acquired land for Mungoli OC and meets at starting Point 'D'.

[F.No. 43015/20/2010-PRIW-I]

M. SHAHABUDEEN, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2010

का.आ. 3056.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन जारी और भारत सरकार के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 13 फरवरी, 2010 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 447 तारीख 1 फरवरी, 2010 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 462.00 हेक्टेयर (लगभग) या 1141.60 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राय्य है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 462.00 हेक्टेयर (लगभग) या 1141.60 एकड़ (लगभग) माप की भूमि और उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

**टिप्पणी 1 :** इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या एनसीएल/मुख्यालय/राजस्व/2010/63 तारीख 20 जुलाई, 2010 का निरीक्षण कलेक्टर, सिंगरौली (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड, राजस्व अनुभाग, सिंगरौली (मध्य प्रदेश-486889) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 के कार्यालय में किया जा सकता है ।

**टिप्पणी 2 :** उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध हैं :

**अर्जन की बाबत आपत्तियाँ :**

“8(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा ।

**स्पष्टीकरण :**

- (1) इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन सक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी सक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए ।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जाँच यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा ।
- (3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकार में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं ।”

**टिप्पणी 3:** केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन भारत के राजपत्र में भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 17 अक्टूबर, 1987 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. आ. 2839 तारीख 5 अक्टूबर, 1987 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है ।

### अनुसूची

मेहरौली वेस्ट ( डिप नार्थ साइड ) ब्लॉक

नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली

जिला-सिंगरौली ( मध्य प्रदेश )

[रेखांक संख्या : एनसीएल/मुख्यालय/राजस्व/2010/63 तारीख 20 जुलाई, 2010]

(ग्राम मेढौली में अर्जित की जाने वाली प्लॉट अनुसार भूमि दर्शाते हुए)

**सभी अधिकार :**

क्रम सं.	ग्राम	थाना	ग्राम संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (एकड़ में)	टिप्पणियाँ
1.	मेढौली	मोरवा	131	सिंगरौली	सिंगरौली	462.00	1141.60	भाग
<b>योग :</b>						<b>462.00</b>	<b>1141.60</b>	
						(लगभग)	(लगभग)	

## 1. ग्राम मेढौली में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्याक :

63(भाग), 65(भाग), 66 से 75, 75/608, 76 से 79, 80(भाग), 81(भाग), 82(भाग), 83(भाग), 84 से 88, 89(भाग), 90(भाग), 91, 92, 93(भाग), 94, 95(भाग), 96(भाग), 98(भाग), 99, 100(भाग), 101(भाग), 102(भाग), 122(भाग), 123(भाग), 155(भाग), 156(भाग), 158(भाग), 159(भाग), 159/610(भाग), 160, 161(भाग), 162, 163, 164(भाग), 165, 166, 167(भाग), 168, 169, 170, 171(भाग), 173(भाग), 206(भाग), 309(भाग), 310, 311(भाग), 312, 313(भाग), 620/315(भाग), 316(भाग), 317 से 342, 343(भाग), 344(भाग), 345(भाग), 361(भाग), 362, 362/599, 363, 363/600, 364 से 369, 370(भाग), 372(भाग), 372/622(भाग), 373, 373/621, 374, एक बिना नम्बर का प्लॉट प्लाट, 375 से 388, 389(भाग), 389/623, 390 से 396, 396/601, 397, 397/602, 398, 399, 400(भाग), 401, 402(भाग), 409(भाग), 410(भाग), 412(भाग), 413, 414, 414/603(भाग), 415, 416(भाग), 417(भाग), 418(भाग), 419 से 423, 423/628, 424, 424/629, 425 से 428, 429(भाग), 430(भाग), 432(भाग), और 474(भाग)।

## सीमा वर्णन :

- क-ख रेखा बिन्दु 'क' से आरम्भ होती है, और ग्राम मेढौली के प्लाट संख्या 123 और 100 से और निगाही ब्लाक विस्तार की पूर्व अर्जित सीमा पर से होकर गुजरती है तथा बिन्दु 'ख' पर मिलती है।
- ख-ग रेखा बिन्दु 'ख' से आरम्भ होती है, और ग्राम मेढौली के प्लाट संख्या 100, 93 और 155 से और निगाही ब्लाक विस्तार की पूर्व अर्जित सीमा पर से होकर गुजरती है तथा बिन्दु 'ग' पर मिलती है।
- ग-घ रेखा बिन्दु 'ग' से आरम्भ होती है, और ग्राम मेढौली के प्लाट संख्या 155 और 156 से और निगाही ब्लाक विस्तार की पूर्व अर्जित सीमा पर से होकर गुजरती है तथा जयन्त ब्लाक विस्तार सब ब्लाक-5 की पूर्व अर्जित सीमा पर स्थित उभय बिन्दु 'घ' पर मिलती है।
- घ-ङ रेखा बिन्दु 'घ' से आरम्भ होती है, और ग्राम मेढौली के प्लाट संख्या 156, 155, 158, 206, पुनः 158, 159, 161, 159/610, 164, 167, 173, 171, 311, 309, 313, 316, 620/315 और 429 से और जयन्त ब्लाक विस्तार (सब-ब्लाक V) की पूर्व अर्जित सीमा पर से होकर गुजरती है तथा प्लाट संख्या 429 और 428 की सम्मिलित सीमा के बिन्दु 'ङ' पर मिलती है।
- ङ-च रेखा बिन्दु 'ङ' से आरम्भ होती है, और ग्राम मेढौली के प्लाट संख्या 429, 430, 432, 418, 474, 417, 416, 409 और 410 से और जयन्त ब्लाक विस्तार (सब-ब्लाक V) की पूर्व अर्जित सीमा पर से होकर गुजरती है तथा बिन्दु 'च' पर मिलती है।
- च-छ रेखा बिन्दु 'च' से आरम्भ होती है, और ग्राम मेढौली के प्लाट संख्या 410, 412, 414/603 पुनः 412 और 402 से और दुधीचुआ ब्लाक विस्तार-II की पूर्व अर्जित सीमा पर से होकर गुजरती है तथा बिन्दु 'छ' पर मिलती है।
- छ-ज रेखा बिन्दु 'छ' से आरम्भ होती है, और ग्राम मेढौली के प्लाट संख्या 402, 400, 389 एक बिना नम्बर का प्लाट, 372, 372/622, पुनः 372, 370, 361, 343, 344, 345, 65 और 63 से होकर गुजरती है तथा प्लाट संख्या 63 और 80 की सम्मिलित सीमा के बिन्दु 'ज' पर मिलती है।
- ज-झ रेखा बिन्दु 'ज' से आरम्भ होती है, और ग्राम मेढौली के प्लाट संख्या 80, 82, 81, 83 और 89 से होकर गुजरती है तथा बिन्दु 'झ' पर मिलती है।
- झ-ञ रेखा बिन्दु 'झ' से आरम्भ होती है, और ग्राम मेढौली के प्लाट संख्या 89, 90, 96, 95, 98, 102, 101 और 122 से होकर गुजरती है तथा बिन्दु 'ञ' पर मिलती है।
- ञ-क रेखा बिन्दु 'ञ' से आरम्भ होती है, और ग्राम मेढौली के प्लाट संख्या 122 और 123 से होकर गुजरती है तथा आरम्भिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/37/2009-पीआरआईडब्ल्यू-1]

एम. शहाबुद्दीन, अवर सचिव

New Delhi, 15th December, 2010

S.O. 3056.—Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 447 dated the 1st February, 2010, issued under sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (herein after referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part-II, section 3, sub-section (ii), dated the 13th February, 2010, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 462.00 hectares (approximately) or 1141.60 acres (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And, whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands prescribed in the Schedule appended to this notification;